का विधेयक संख्यांक–8) जो आज दिनांक 4 अप्रैल, 2018 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित / –
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

————————

2018 का विधेयक संख्यांक 8

हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2018

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

2. **धारा 17 का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 17 में,––

(क) उप धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(1) राज्य सरकार, पुलिस और अन्वेषण अभिकरणों को स्वतंत्र न्यायालयिक रिपोर्टें उपलब्ध करवाने के लिए समर्पित फॉरेंसिक्स सर्विसीज निदेशालय का सृजन करेगी और उसे प्रभावी रूप से बनाए रखेगी, जो न्यायालयिक विज्ञान सेवाएं निदेशालय या पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा अधिकथित दिशानिर्देशों के अनुसार, समुचित उपस्कर और वैज्ञानिक जनशक्ति सहित, राज्य स्तर पर न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रत्येक पुलिस रेंज के लिए एक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला और प्रत्येक पुलिस जिला के लिए एक सचल न्यायालयिक विज्ञान इकाई से गठित होगा। महानिदेशक (फॉरेंसिक्स) निदेशालय का, निदेशक राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला का, क्षेत्रीय या रेंज निदेशक, क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का, और उप निदेशक या सहायक निदेशक जिला सचल न्यायालयिक इकाई का, प्रमुख होगा।''।

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(1क) फॉरेंसिक्स सर्विसीज निदेशालय का एक अंगुली छाप ब्यूरो होगा, जिसका प्रमुख ऐसा अधिकारी होगा जो निदेशक, न्यायालयिक विज्ञान की पंक्ति से नीचे का न हो। ब्यूरो, अंगुली छापों, जिसके अन्तर्गत ब्यूरो, फॉरेंसिक्स सर्विसीज निदेशालय या जिला पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान एकत्रित अंगुली छाप है, का कम्प्यूट्रीकृत तलाशी योग्य डाटा बैंक अनुरक्षित करेगा। राज्य अंगुली छाप ब्यूरो अन्य राज्यों और भारत सरकार में समरूप अभिकरणों के साथ क्रियाकलापों का समन्वय करेगा। अंगुली छाप ब्यूरो, जिला पुलिस के अन्वेषण अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और विभिन्न परिस्थितियों में अंगुली छापों को उठाने, डिवेल्प करने

और मिलान करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं विकसित करेगा तथा इस प्रयोजन के लिए अंगुली छाप निर्देशिका प्रकाशित करेगा।" ।

3. **धारा 84 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 84 की उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 पुलिस की स्थापना और प्रबन्धन तथा उससे सम्बन्धित विषयों की बाबत विधियों को समेकित करने हेतु अधिनियमित किया गया है। पूर्वोक्त अधिनियम के अध्याय–2 में रेलवे पुलिस, राज्य आसूचना और अपराध अन्वेषण विभाग, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी और पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालयों और विद्यालयों आदि में विभिन्न स्तरों पर प्राधिकरण विनिर्दिष्ट किए गए हैं। जबकि, तकनीकी और सहयोगी सेवाओं के संगठन की दशा में पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन ऐसे कोई प्राधिकरण विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं। इसलिए उक्त संगठन के लिए भी सक्षम प्राधिकरण तद्नुसार विनिर्दिष्ट किए जाने अपेक्षित हैं।

वर्तमानतः, अंगुली छाप ब्यूरो अपराध अन्वेषण विभाग के नियंत्रणाधीन है और फॉरेंसिक्स सर्विसीज निदेशालय का उक्त ब्यूरो के कार्यकलापों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण फॉरेंसिक्स सर्विसीज निदेशालय और अंगुली छाप ब्यूरो के मध्य समन्वय की कमी है। इसलिए उक्त ब्यूरो पर फॉरेंसिक्स सर्विसीज निदेशालय का प्रभावी नियंत्रण होने के आशय से बेहतर समन्वय और नियंत्रण के लिए अंगुली छाप ब्यूरो को फॉरेंसिक्स सर्विसीज निदेशालय को अन्तरित करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे दाण्डिक न्याय प्रशासन दक्षता में वृद्धि होगी। इससे पूर्वोक्त अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन किया जाना अनिवार्य हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जय राम ठाकुर)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख :....., 2018

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 8 of 2018

THE HIMACHAL PRADESH POLICE (AMENDMENT) BILL, 2018

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007)

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Police (Amendment) Act, 2018.

2. Amendment of Section 17.—In section 17 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (hereinafter referred to as the " principal Act"),—

(a) for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) The State Government shall create and effectively maintain a Directorate of Forensics Services dedicated to provide independent forensic reports to the Police and Investigating Agencies, which shall be comprised of a Forensic Science Laboratory at the State–level, a Regional Forensic Science Laboratory for every Police Range and a Mobile Forensic Science Unit for every Police District, with appropriate equipments and scientific manpower, in accordance with the guidelines laid down by the Directorate of Forensic Science Services or the Bureau of Police Research and Development. The Directorate shall be headed by the Director General (Forensics), the State Forensic Science Laboratory by the Director, the Regional Forensic Science Laboratory by the Regional or the Range Director and District Mobile Forensic Unit by the Deputy Director or the Assistant Director.".

(b) After sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(1A) The Directorate of Forensics Services shall have a Finger Print Bureau to be headed by an Officer not below the rank of Director, Forensic Science. The Bureau shall maintain computerized searchable databanks of fingerprints, including those collected in the course of investigation by the Bureau, the Directorate of Forensics Services or the District Police. The State Finger Print Bureau shall coordinate activities with similar agencies in other States and the Government of India. The Finger Print Bureau shall provide training to Investigation Officers of the District Police and develop standard operating procedures for lifting, developing and matching finger prints in various circumstances, and shall publish a Finger Printing Manual for the purpose.".

3. Amendment of Section 84.—In section 84 of the principal Act, sub-section (3) shall be omitted.

———————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Police Act, 2007 has been enacted to consolidate laws relating to the establishment and management of Police and matters connected therewith. In Chapter-II of the Act *ibid.,* the authorities at different levels in the Railway Police, the State Intelligence and Criminal Investigation Departments, State Police Training Academy and Police Training Colleges and Schools etc. have been specified. Whereas, in the case of Organization of Technical and Support Services, no such authorities have been specified under section 17 of the Act *ibid*. Therefore, the competent authorities are also required to be specified accordingly for the said organization.

Presently, the Finger Print Bureau is under the control of the Criminal Investigation Department, and the Directorate of Forensics Services has no control on the functioning of the said Bureau due to which there is lack of coordination between the Directorate of Forensics Services and the Finger Print Bureau. Thus, in order to have an effective control of the Directorate of

Forensics Services on the said Bureau it has been proposed to transfer the Finger Print Bureau to the Directorate of Forensics Services for better coordination and control. This will increase the efficiency in the administration of criminal justice. This has necessitated the proposed amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAI RAM THAKUR)
Chief Minister.

SHIMLA:

The ....., 2018.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक : 3 अप्रैल, 2018

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–34 / 2018.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2018 (2018 का विधेयक संख्यांक–4) जो आज दिनांक 3 अप्रैल, 2018 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरः स्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में अधिसूचित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित / –
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

2018 का विधेयक संख्यांक 4

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) विधेयक, 2018

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–